**कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड**
**4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001**
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या– 452/XXV–66 (1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 8 अगस्त, 2013

सेवा में,

**तत्काल–शीर्ष प्राथमिकता**

श्री मनमोहन सिंह रावत,
अधिशासी निदेशक
डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, देहरादून
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर, 21–देहरादून कैन्टोन्मेन्ट विधान सभा क्षेत्र)

**विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012, 21–देहरादून कैन्टोन्मेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत अपील की सुनवाई के समय दिनांक 06 अगस्त, 2013 को अपीलकर्ता श्री राजीव गुप्ता, पुत्र स्व. श्री भारत भूषण गुप्ता, निवासी 112–ए, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून द्वारा अपने प्रत्यावेदन पत्र संख्या–710 दिनांक 24.11.2012 के साथ प्रस्तुत अपर जिला मजिस्ट्रेट, वि.रा. एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को सम्बोधित आपके पत्र संख्या–डीएससीएल/आ0नि0/1908 दिनांक 20.10.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.10.2012 के प्रस्तर–1 में उल्लेख किया गया है कि *"इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी उम्मीदवार शपथ पत्र रिटर्निंगं आफिसर के समक्ष पृथक से पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और तत्पश्चात नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते हैं"* **आपके इस अभिकथन से आपका मन्तव्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अस्तु आप तत्काल इस सम्बन्ध में अपने सुस्पष्ट मन्तव्य से अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार ही अपीलकर्ता को भी अवगत कराया जा सके।**

भवदीय,

**( सौजन्या )**
अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

## कार्यालय अपीलीय अधिकारी-मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय / संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून

**अपील संख्या-16/2013**

अपीलकर्ता : श्री राजीव गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता, निवासी 112–ए, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाता : लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून

आदेश

श्री राजीव गुप्ता उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं के क्रम में लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध न कराए जाने के सदंर्भ में अपील प्रस्तुत की गयी जिस पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 433 दिनांक 29 जुलाई 2013 के माध्यम से दिनांक 6 अगस्त 2013 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी थी जिसमे अपीलकर्ता स्वंय उपस्थित हुए।

**2.1-** अपील पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा संबंधित पत्रावली का परीक्षण किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से विदित हुआ है कि अपीलकर्ता के सूचनाधिकार संबंधी मूल आवेदन पत्र संख्या 723 दिनांक 11-03-2013 को लोक सूचनाधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 के माध्यम से लोक सूचनाधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को हस्तांतरित किया गया था।

**2.2-** अपीलकर्ता द्वारा सूचनाधिकार से संबंधित अपने मूल आवेदन पत्र संख्या 723 दिनांक 11-03-2013 में अपने प्रत्यावेदन पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख किया गया है किन्तु कार्यालय अभिलेखों के अनुसार यह प्रत्यावेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ है। अपीलकर्ता द्वारा अपील की सुनवाई के समय उक्त प्रत्यावेदन पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 की प्रति अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत की गयी जिसे अपील के भाग के रूप में अभिलेखार्थ पत्रावली में संचित किया गया।

**2.3-** अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 के पृष्ठ संख्या 1 प्रस्तर 3,4 तथा पृष्ठ संख्या 2 के प्रस्तर 5,6 एवं 7 में अंकित विवरण तथा अभिलेख जो कि अपीलकर्ता के उपरोक्त प्रत्यावेदन के साथ प्राप्त हुए हैं, के अवलोकन और परीक्षण के उपरान्त तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21- देहरादून केन्टोन्मेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की आख्या दिनांक 20-10-2012 जो कदाचित स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रही है पर स्पष्टीकरण / सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर को निर्देशित किया जा चुका है आख्य प्राप्त होने पर अपीलकर्ता को उसकी प्रति यथा समय पृथक से प्रेषित की जायेगी।

**2.4-** अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र को विलम्ब से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को हस्तांतरित किये जाने के परिपेक्ष्य मे लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह भविष्य में सूचना अधिकार संबंधी आवेदनों का नियमानुसार समय पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

**( सौजन्या )**
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय/
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।

**संख्या- 451 XXV-66-1(5)/2009, दिनांक 8 अगस्त, 2013**

**प्रतिलिपि :-**

1. लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
2. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. श्री राजीव गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता, निवासी 112–ए, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

**( सौजन्या )**
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय/
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

## कार्यालय अपीलीय अधिकारी-मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय / संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून

**अपील संख्या-16/2013**

अपीलकर्ता : श्री राजीव गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता, निवासी 112–ए, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून।

बनाम

उत्तरदाता : लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर, देहरादून

आदेश

श्री राजीव गुप्ता उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं के क्रम में लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध न कराए जाने के सदंर्भ में अपील प्रस्तुत की गयी जिस पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता को पत्र संख्या 433 दिनांक 29 जुलाई 2013 के माध्यम से दिनांक 6 अगस्त 2013 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी थी जिसमे अपीलकर्ता स्वंय उपस्थित हुए।

**2.1-** अपील पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा संबंधित पत्रावली का परीक्षण किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से विदित हुआ है कि अपीलकर्ता के सूचनाधिकार संबंधी मूल आवेदन पत्र संख्या 723 दिनांक 11-03-2013 को लोक सूचनाधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 के माध्यम से लोक सूचनाधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को हस्तांतरित किया गया था।

**2.2-** अपीलकर्ता द्वारा सूचनाधिकार से संबंधित अपने मूल आवेदन पत्र संख्या 723 दिनांक 11-03-2013 में अपने प्रत्यावेदन पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख किया गया है किन्तु कार्यालय अभिलेखों के अनुसार यह प्रत्यावेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ है। अपीलकर्ता द्वारा अपील की सुनवाई के समय उक्त प्रत्यावेदन पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 की प्रति अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत की गयी जिसे अपील के भाग के रूप में अभिलेखार्थ पत्रावली में संचित किया गया।

**2.3-** अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 के पृष्ठ संख्या 1 प्रस्तर 3,4 तथा पृष्ठ संख्या 2 के प्रस्तर 5,6 एवं 7 में अंकित विवरण तथा अभिलेख जो कि अपीलकर्ता के उपरोक्त प्रत्यावेदन के साथ प्राप्त हुए हैं, के अवलोकन और परीक्षण के उपरान्त तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21- देहरादून केन्टोन्मेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की आख्या दिनांक 20-10-2012 जो कदाचित स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रही है पर स्पष्टीकरण / सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर को निर्देशित किया जा चुका है आख्य प्राप्त होने पर अपीलकर्ता को उसकी प्रति यथा समय पृथक से प्रेषित की जायेगी।

**2.4-** अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र को विलम्ब से लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को हस्तांतरित किये जाने के परिपेक्ष्य मे लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह भविष्य में सूचना अधिकार संबंधी आवेदनों का नियमानुसार समय पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

**( सौजन्या )**
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय/
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड ।

**संख्या- 451 XXV-66-1(5)/2009, दिनांक 8 अगस्त, 2013**

**प्रतिलिपि :-**
1. लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ।
2. लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून को इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. श्री राजीव गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता, निवासी 112–ए, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

**( सौजन्या )**
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय/
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

**4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001**

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724


संख्या– /XXV–66 (1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 8 अगस्त, 2013

सेवा में,

श्री राजीव गुप्ता,
पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता,
निवासी 112–ए,
न्यू कनाट प्लेस, देहरादून।

**विषयः–** **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं के संबंध में पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 का संशोधन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी के पत्र संख्या– 302/ XXV-66 (1–5)/2008 दिनांक 21 मई 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के प्रस्तर दो के माध्यम से अवगत कराया गया था कि, ***'आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन संख्या 710/11/07 दिनांक 24/11/2012 को कार्यालय के पत्र संख्या 1003 दिनांक 29 अगस्त, 2013 के माध्यम से जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को हस्तान्तरित करते हुए उक्त की प्रति आपको पृष्ठांकित की गयी थी"।***

**2-** उपरोक्त सदंर्भ में दिनांक 6 अगस्त 2013 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की सुनवाई के पश्चात सूचना अधिकार से संबंधित आपके आवेदन पत्रों के माध्यम से वांछित सूचनाओं के क्रम में संबंधित पत्रावली और कार्यालय अभिलेखों का सघनता से परीक्षण करने के पश्चात यह परिलक्षित हुआ है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन ***संख्या 710/11/07 दिनांक 24/11/2012*** इस कार्यालय को प्राप्त ही नहीं हुआ है जिस कारण उसका निस्तारण नहीं किया जा सका। सूचना अधिकार संबंधी आपके आवेदन पत्र संख्या 723/11/07 दिनांक 11 मार्च 2013 में आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख होने के कारण टंकण त्रुटिवश इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 के प्रस्तर दो में इसका उल्लेख किया गया है। यह भी स्पष्ट करना प्रासांगिक होगा कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 के प्रस्तर दो में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1003 दिनांक 29 अगस्त 2012 के साथ आपके पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2-03-2012 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया गया था, न कि आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 को प्रेषित किया गया। अर्थात पुनः स्पष्ट करना है कि टंकण त्रुटि के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या 302 में आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख हुआ है।

अतः अनुरोध है कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

**(मस्तू दास)**
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

**पृ0संख्या 450/XXV–66 (1–5)/2009, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि विभागीय अपीलीय अधिकारी महोदया की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

**(मस्तू दास)**
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724


संख्या–450 /XXV–66 (1–5)/2009 देहरादून : दिनांक 8 अगस्त, 2013

सेवा में,

श्री राजीव गुप्ता,
पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता,
निवासी 112–ए,
न्यू कनाट प्लेस, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं के संबंध में पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 का संशोधन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत वांछित सूचनाओं के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी के पत्र संख्या– 302/ XXV-66 (1–5)/2008 दिनांक 21 मई 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के प्रस्तर दो के माध्यम से अवगत कराया गया था कि, ***'आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन संख्या 710/11/07 दिनांक 24/11/2012 को कार्यालय के पत्र संख्या 1003 दिनांक 29 अगस्त, 2013 के माध्यम से जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को हस्तान्तरित करते हुए उक्त की प्रति आपको पृष्ठांकित की गयी थी"।***

2- उपरोक्त सदंर्भ में दिनांक 6 अगस्त 2013 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की सुनवाई के पश्चात सूचना अधिकार से संबंधित आपके आवेदन पत्रों के माध्यम से वांछित सूचनाओं के क्रम में संबंधित पत्रावली और कार्यालय अभिलेखों का सघनता से परीक्षण करने के पश्चात यह परिलक्षित हुआ है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन ***संख्या 710/11/07 दिनांक 24/11/2012*** इस कार्यालय को प्राप्त ही नहीं हुआ है जिस कारण उसका निस्तारण नहीं किया जा सका। सूचना अधिकार संबंधी आपके आवेदन पत्र संख्या 723/11/07 दिनांक 11 मार्च 2013 में आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख होने के कारण टंकण त्रुटिवश इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 के प्रस्तर दो में इसका उल्लेख किया गया है। यह भी स्पष्ट करना प्रासांगिक होगा कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 के प्रस्तर दो में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1003 दिनांक 29 अगस्त 2012 के साथ आपके पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2-03-2012 को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया गया था, न कि आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 को प्रेषित किया गया। अर्थात पुन: स्पष्ट करना है कि टंकण त्रुटि के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या 302 में आपके पत्र संख्या 710 दिनांक 24-11-2012 का उल्लेख हुआ है।

अत: अनुरोध है कि इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 302 दिनांक 21 मई 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 450/XXV–66 (1–5)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि विभागीय अपीलीय अधिकारी महोदया की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Master

NO RTI

(1)

पत्रांक स0 710 / 11 / 07 दिनांक 24 / 11 / 2012

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
उत्तराखण्ड सचिवालय,
सुभाष रोड,
देहरादून।

विषयः उत्तराखण्ड विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2012 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स0 21 – देहरादून कैन्टोनमेन्ट में अभ्यर्थीयों के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिए जाने सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष उनसे भेंट कर दिनांक 02 / 03 / 2012 को पत्रांक स0 625 / 11 / 07 के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। (इसमें यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रत्यावेदन निर्वाचन की दिनांक से पूर्व प्रस्तुत किया गया था एवं प्रत्यावेदन में किसी निर्वाचन को चुनौती नहीं दी गई थी अपितु पत्र भारत के संविधान की रक्षा हेतु एवं स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु प्रस्तुत किया गया था)। जिस पर कार्यवाही करते हुए महामहिम राज्यपाल के सचिवालय द्वारा उक्त प्रत्यावेदन आवश्यक कार्यवाही हेतू सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पास अग्रसरित कर दिया गया था।

दिनांक 29 अगस्त 2012 को पत्रांक स0 1003 / xxv-62 / 2011 के माध्यम से यह प्रत्यावेदन सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के पास आवश्यक कार्यवाही हेतू अग्रसरित कर दिया गया।

दिनांक 30 अगस्त 2012 को पत्रांक स0 195 / 25–40 / 2012 के माध्यम से यह प्रत्यावेदन अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0स0) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के द्वारा उप जिलाधिकारी, देहरादून (रिटर्निंग आफिसर 21 – देहरादून कैन्टोमेन्ट) के पास आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतू अग्रसरित कर दिया गया।

दिनांक 04 सितम्बर 2012 को पत्रांक स0 749 / जाँच – 2012 के माध्यम से यह प्रत्यावेदन उप जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0स0) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के पास वापस यह कहते हुए लौटा दिया कि "कि विधान सभा निर्वाचन 2012 में 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट के रिटर्निंग आफिसर

तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री मनमोहन सिंह थे उन्हीं के द्वारा अभ्यर्थी श्री राजीव गुप्ता के पत्र पर कार्यवाही/आख्या दिया जाना सम्भव है।"

दिनांक 09 अक्टूबर 2012 को पत्रांक स0 311/29–40 (2011–2012 के माध्यम से उक्त प्रत्यावेदन अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0स0) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून के द्वारा पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री मनमोहन सिंह रावत (रिटर्निंग आफिसर 21 – देहरादून कैन्टोमेन्ट) के पास आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या उपलब्ध कराने हेतू अग्रसरित कर दिया गया।

दिनांक 20 अक्टूबर 2012 को पत्रांक स0 डीएससीएल/अ0नि0/1908 के माध्यम से तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री मनमोहन सिंह रावत (तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21 – देहरादून कैन्टोमेन्ट) के द्वारा प्रत्यावेदन पर कार्यवाही करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0स0) एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून को आख्या उपलब्ध कराई गई। (आख्या की छायाप्रति संलग्न द्वारा पृष्ठ स0 4)

आख्या में उनके द्वारा साफ तौर पर लिखा गया है कि **"इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी उम्मीदवार शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पृथक से पढकर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और तत्पश्चात नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकिया सभी उम्मीदवारो से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय कराई गई है।"**

तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री मनमोहन सिंह रावत (तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21 – देहरादून कैन्टोमेन्ट) के द्वारा प्रस्तुत आख्या के पैरा दो में कहा गया कि **"अतः शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि अभ्यर्थीयों द्वारा शपथ के प्रारुप पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हस्ताक्षर कर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे बेबुनियाद एवं निराधार हैं। शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा पढकर हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसके पश्चात नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर जमा किया जाता है उसकी उम्मीदवार को पृथक से प्राप्ती रसीद दी जाती है।"**

यह कि श्री मनमोहन सिंह रावत (तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21 – देहरादून कैन्टोमेन्ट) के द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार उनके द्वारा नाम निर्देशन के प्रस्तुतीकरण की प्रकिया में, नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय पहले उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पृथक से पढाया गया तथा उस पर हस्ताक्षर करये गये और तत्पश्चात अभ्यर्थीयों द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ हस्ताक्षरित शपथ का प्रारुप संलग्न कर प्रस्तुत किये गये। आख्या में उन्होने प्रार्थी को भी सम्मिलित कर लिया जो कि श्री मनमोहन सिंह रावत जी का दूसरा असत्य कथन है। प्रार्थी इस सन्दर्भ में आपको दिनांक 02/03/2012 से पूर्व ही अवगत करा चुका है तथा नामांकन प्रकिया

से सम्बन्धित विडीयोग्राफी की सी0 डी0 स्वयं तथा स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत कर चुका है। सी0 डी0 में अवलोकन किया जा सकता है कि श्री मनमोहन सिंह जी सभी अभ्यर्थीयों से शपथ के प्रारुप पर उसको बिना मौखिक बुलवाए हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं एवं शपथ के प्रारुप पर हस्ताक्षर करा रहे हैं। वहीं सी0 डी0 में देखा जा सकता है कि प्रार्थी के द्वारा शपथ उसके नामांकन प्रपत्र के प्रस्तुत करने के बाद नामांकन की संक्षिप्त जाँच के उपरांत शपथ मौखिक (जोर से बोल कर) फिर शपथ के प्रारुप पर हस्ताक्षर कर पूर्ण की गई थी।

**इस प्रकार रिटर्निंग आफिसर द्वारा आख्या दिनांक 20/10/2012 से स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित हैन्डबुक फार रिटर्निंग आफिसर, 2009 के चैप्टर 5 (निर्वाचन) के पैरा 20 (अभ्यर्थीयो द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था तथा उनके द्वारा अपनी मर्जी से स्वयं से निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी।** {हैन्डबुक फार रिटर्निंग आफिसर, 2009 के चैप्टर 5 (निर्वाचन) के पैरा 20 (अभ्यर्थीयो द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान) में सम्बंधित भाग चिन्हित कर संलग्न है द्वारा पृष्ठ स0 5 –18}।

अतः प्रार्थी महोदय के समक्ष निवेदन करता है कि समपूर्ण प्रकरण का तथा प्रकरण पर श्री मनमोहन सिंह रावत (तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट) के द्वारा प्रस्तुत आख्या के साथ अधिकारिक विडीयोग्राफी का संज्ञान ले कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगें। प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

धन्यवाद सहित,

प्रार्थी

राजीव गुप्ता,
पुत्र स्व0 श्री भारत भूषण गुप्ता,
9/13, महन्त क्वाटर्स, ईदगााह,
चकराता रोड, देहरादून।
मो0 9319703270

संलग्नः

1 श्री मनमोहन सिंह रावत (तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट) के द्वारा प्रस्तुत आख्या की छायाप्रति।

2 हैन्डबुक फार रिटर्निंग आफिसर, 2009 के चैप्टर 5 (निर्वाचन) के पैरा 20 (अभ्यर्थीयो द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान) में सम्बंधित भाग

कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।

संख्या/१९५/25–40/2012

दिनांक ३० अगस्त 2012

उप जिलाधिकारी देहरादून
(रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट)
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012

**विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012–21 देहरादून कैन्टोमेन्ट मे अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धि प्रकरण के सम्बन्ध मे ।**

उपरोक्त विषय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1003/XXV–62/2011 दिनांक 29 अगस्त 2012 मयसंलग्नक श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून के पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2–3–2012 की छाया प्रति भेजते हुये अवगत करना है कि उनके द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2012 के दौरान 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट के अभ्यर्थियो के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने का उल्लेख किया गया है. । इस प्रकरण के सम्बन्ध मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवायी करते हुये अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

<u>संलग्नक–येथोपरि</u>

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि.रा.)एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि–1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून महोदया के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित ।

2 श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(वि.रा.)एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर), देहरादून।

संख्या–749 / जॉच –2012 दिनांक 4 सितम्बर 2012

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0एवं0 रा0) /
उपजिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012–21 देहरादून कैन्टोमेन्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 194 /25–40/2012 दिनाक 30 अगस्त 2012 का अवलोकन करने का कष्ट करे। पत्र के साथ संलग्न श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के पत्र दिनाक 2–3–2012 जिसमें विधान सभा निर्वाचन 2012 के दौरान 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट के अभ्यिथियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने का प्रश्न है, के अनुक्रम में अवगत कराना है कि विधान सभा निर्वाचन 2012 में 21 –देहरादून कैन्टोमेन्ट के रिटर्निग आफिसर तत्कालीन उपजिलाधिकारी श्री मनमोहन सिंह थे उन्ही के द्वारा अभ्यिथी श्री राजीव गुप्ता के पत्र पर कार्यवाही /आख्या दिया जाना सम्भव है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सम्बन्ध में तत्कालीन रिटर्निग आफिसर श्री रावत से आख्या हेतु भेजने का कष्ट करें । आपके द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 194 /25–40/2012 दिनाक 30 अगस्त 2012 एवं उसके साथ संलग्न मूलरूप में वापस किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र गुणवन्त)
उप जिलाधिकारी(सदर./
रिटर्निग आफिसर,
देहरादून।

प्रतिलिपि– श्री राजीव गुप्ता अभ्यर्थि 21– देहरादून कैन्टोमेन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून को सूचनार्थ।

उप जिलाधिकारी(सदर./
रिटर्निग आफिसर,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून

संख्या 911 /29–40 (2011–2012) दिनांक 9 अक्टूबर 2012

श्री मनमोहन सिंह रावत
अधिशासी निदेशक
डोईवाला शुगर मिल– जिला देहरादून
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर 21–देहरादून कैन्टोमेन्ट)

**विषय : विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 –21 देहरादून कैन्टोमेन्ट मे अभ्यर्थियो के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध मे ।**

उपरोक्त विषय कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर देहरादून के पत्र संख्या 749/जांच–2012 दिनांक 4 सितम्बर 2012 की छाया प्रति भेजते हुये अवगत करना है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012–21 देहरादून कैन्टोमेन्ट मे अभ्यर्थियो के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धित शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1003/XXV–62/2011 दिनांक 29 अगस्त 2012 मयसंलग्नक श्री राजीव गुप्ता निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून के पत्र संख्या 625/11/07 दिनांक 2–3–12 उप जिलाधिकारी सदर को कार्यालय पत्र संख्या 195/25–40 दिनांक 30 अगस्त 2012 के द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था उप जिलाधिकारी सदर द्वारा अपनी आख्या मे तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर श्री रावत से प्रकरण की जांच आख्या हेतु वापस किया गया है । उक्त प्रकरण आपसे सम्बन्धित है प्रकरण के सम्बन्ध मे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपनी जांच इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

भवदीय

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि.रा.एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि–श्री राजीव गुप्ता निवासी 9/13 महन्त क्वार्टस ईदगाह चकराता रोड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि.रा.एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

# डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला (देहरादून)
टिन संख्या– 05001157332, के.वि.क.सं.–डीडी 5141145
फोन नं0: 0135-2695109, फैक्स नं0: 0135-2695221


(4)

पत्रांकः डीएससीएल/ अ0नि0 / 1908

दिनांक: 20.10.2012

अपर जिला मजिस्ट्रेट वि.रा.
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून।

विषय– विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012, 21 देहरादून कैन्टोमेन्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अन्तर्गत शपथ न लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र सं0–311/29–40(2011–2012) दिनांक–09अक्टूबर,2012 जो कि श्री राजीव गुप्ता निवासी– 9/13 महन्त क्वाटर्स, ईदगाह, चकराता रोड, देहरादून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के प्रस्तुतीकरण के समय पढ़कर संविधान की शपथ नहीं ली गई की शिकायत से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी उम्मीदवार शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पृथक से पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और ततपश्चात नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकिया सभी उम्मीदवारों से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय करायी गयी है। श्री गुप्ता द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की स्कूटनी के समय भारत निर्वाचन आयोग के मा0 प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में यह शिकायत की गई थी जिस पर गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर शिकायत निराधार पाई गयी और तद्नुसार निस्तारित कर दी गयी थी।

अतः शिकायतकर्ता द्वारा यह कहना कि अभ्यर्थियों द्वारा शपथ के प्रारुप पर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही हस्ताक्षर कर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे बेबुनियाद एवं निराधार है। शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा पढ़कर हस्ताक्षर किये जाते हैं। उसके पश्चात नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न कर जमा किया जाता है उसकी उम्मीदवार को पृथक से प्राप्ति रसीद दी जाती है।

रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

ADEO
Pl. put up
22/X/12
AMC FIN

भवदीय,

(मनमोहन सिंह)
पी0सी0एस0
अधिशासी निदेशक
(तत्कालीन रिटर्निंग आफिसर
21 देहरादून कैन्टोमेन्ट

(5)

# HANDBOOK
# FOR
# RETURNING OFFICERS

**(At Elections where Electronic Voting Machines are used)**

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

## 2009

Nirvachan Sadan, Ashoka Road
New Delhi-110 001

# CHAPTER - V

# NOMINATIONS

## INTRODUCTORY

1. The pressure of work increases substantially as soon as notification calling upon the constituency to elect a member is published in official gazette. As soon as schedule for an election is announced by the Commission by way of a press release, you come to know well before, the date on which such notification will be issued.

## NOTIFICATIONS FOR GENERAL ELECTIONS TO THE HOUSE OF THE PEOPLE AND STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES

2.1 In the case of a general election to the House of the People, the President of India, under section 14 of the Representation of the People Act, 1951, shall, by one or more notifications published in the Gazette of India on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon the parliamentary constituencies to elect members for the purpose of constituting a new House.

2.2 In the case of a general election to a State Legislative Assembly, the Governor of the State, under Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 shall, by one or more notifications published in the State gazette on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon the Assembly constituencies in the State to elect members for the purpose of constituting a new Assembly.

2.3 On the same date on which the above notification calling the election is issued, the Election Commission will issue a notification in the official gazette under Section 30 of that Act fixing the programme for the various stages of the election.

## NOTIFICATIONS FOR BYE-ELECTIONS

3.1 Notifications in respect of bye-elections to the House of the People will be issued by the Election Commission under the provisions of Section 149 of that Act.

3.2 Notifications in respect of bye-elections to Legislative Assembly Constituencies will be issued by the Commission under the provisions of Section 150 of that Act.

IX-C) and a further affidavit as in the format prescribed by the Commission by its order no.3/ER/2003/JS.II dated 27.3.2003 (**Annexure X**). (You would have already handed over the copy of the order dated 27.3.03 and the formats of affidavits to the candidate along with the form of nomination). If any candidate fails to file the said affidavit along with his nomination paper, you should bring to his notice this requirement. A standard format of the letter for this purpose is given at **Annexure XI**. It should be issued to the candidate or his proposer immediately on presentation of the nomination paper, and the candidate should be asked to file duly sworn affidavits latest by 3.00 p.m. on the last date of filing nominations.

19.2 No column of the affidavit should be left blank or filled by just tick/dash marking. If the information asked for in a column is Nil or not applicable to the particular candidate then he should write 'Nil' or 'Not applicable' in that column.

19.3 Similar action should be taken by the Specified Assistant Returning Officer, if the nomination paper is presented to him.

## OATH OF AFFIRMATION BY CANDIDATES

20.1 A candidate at an election to Parliament, State Legislature or Legislative Assembly in a Union Territory is required under Article 84(a) or Article 173(a) of the Constitution, section 4(a) of the Government of Union Territories Act, 1963, or section 4(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, as the case may be, to make and subscribe an oath or affirmation in the prescribed form before some person authorized in that behalf by the Election Commission.

20.2 A model of the form of oath or affirmation is given in **Annexure XII**.

20.3 The Election Commission's notifications authorizing certain persons in this behalf are reproduced in **Annexure XIII**. For any particular election, the authorized persons are, principally, the Returning Officer and the Assistant Returning Officers for the constituency or the election. In the case of a candidate confined in a prison or under preventive detention, the superintendent of the prison or commandant of the detention camp in which he is so confined or is under such detention is authorized to administer the oath. And in the case of a candidate confined to bed in a hospital or elsewhere owing to illness or any other cause, the medical superintendent in charge of the hospital or the medical practitioner attending on him is similarly authorized.

20.4 In the case of a candidate, who is out of India, the oath or affirmation may be made and subscribed before the diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be, or any person

authorized by such diplomatic or consular representative. Where the candidate is for any other reason unable to appear or prevented from appearing before the Returning Officer concerned or the Assistant Returning Officer the oath or affirmation may be made and subscribed before any other person nominated by the Election Commission on an application made to it in this behalf. The Commission has also authorized all stipendiary presidency magistrates, all stipendiary magistrates of the first class, all district judges and all persons belonging to the judicial service of a State other than district judges, as officers before any one of whom the candidate can make and subscribe the oath or affirmation.

20.5 The oath or affirmation should be made and subscribed before the date fixed by the Election Commission for scrutiny of nomination papers at that election. The decisions of the Supreme Court in Pasupati Nath Singh versus Harihar Prasad Singh (A.I.R. 1968-SC-1064) and Khader Khan Hussain Khan and others vs. Nijalingappa (1970-1 SCA-548) have clarified the position and removed all doubts in regard to the actual making and subscribing the oath or solemn affirmation.

20.6 According to these decisions, the oath or solemn affirmation can be made and subscribed by a candidate **only after his nomination paper has been delivered** and it cannot be so made and subscribed on the date of scrutiny. You should, therefore, advise the candidate to make the oath or affirmation immediately after presenting their nomination papers and in any case not later than the day previous to the date of the scrutiny. As such oath taken at or before 1200 PM of midnight of preceding day of day notified for scrutiny of nomination paper should be treated within time.

20.7 The oath or affirmation is to be made and subscribed in person before the authorized person.

20.8 It is not necessary that the oath or affirmation should be made more than once if a candidate is nominated from more than one constituency at a general election. All that is required under Articles 84(a) and 173(a) is that the person concerned should make and subscribe an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule to the Constitution. According to the above referred decision of the Supreme Court in Khadar Khan Hussein Khan's case, when once this is done in respect of one nomination paper at a general election, the necessary qualification is obtained and this removes the bar laid down by the above Articles.

20.9 The onus of proving that a candidate had made or subscribed the oath or affirmation before some other authorized person rests on the candidate himself. It is sufficient if the candidate or his representative satisfies you at

the time of scrutiny that the candidate has made and subscribed the oath or affirmation before an authorized person for that election.

20.10 Section 36(2) (a) of the Representation of the People Act, 1951 requires that on the date for the scrutiny of nominations the nominated candidate should have the requisite qualification including the qualification of having made and subscribed the oath or affirmation. If the oath or affirmation is not made and subscribed before the date appointed for the scrutiny of nomination papers, the candidate shall be held by you as not qualified to stand for the election. It is not necessary that every nomination paper of a candidate must be accompanied by the form of oath signed by the candidate.

20.11 The oath or affirmation has first to be made and then signed by the candidate before the authorized person. It should be borne in mind that mere signing on the paper on which the form of oath is written is not sufficient. The candidate must make the oath before the authorized person. The latter should ask the candidate to read aloud the oath and then to sign and give the date on the paper on which it is written. If the candidate is illiterate or unable to read the form the authorized person should read out the oath and ask the candidate to repeat the same and thereafter take his thumb impression on the form. In all cases, the authorized person should endorse on the form that the oath or affirmation has been made and subscribed by the candidate on that day and hour.

20.12 The authorized person will forthwith give a certificate to the candidate that he has made and subscribed the oath before him on that day at a particular hour. The certificate will be given to the candidate without his applying for it. This will avoid all controversy later on as to whether the candidate had taken the oath or not.

20.13 If the authorized person is the superintendent or commandant of the prison or camp he should issue forthwith to the candidate a certified copy of the oath for producing it as evidence before you at the time of scrutiny of nominations. The superintendent of the prison or commandant of the detention camp will simultaneously send a written communication by the most expeditious means of transmission like fax to you indicating the date and time at which the particular candidate made and subscribed the oath or affirmation. He will also send you the original of the oath or affirmation made and signed by the candidate.

20.14 If the authorized person is a medical superintendent of a hospital or medical practitioner or a diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be or the district judge or person belonging to the judicial service of a State (other than district judge) or stipendiary presidency magistrate or stipendiary magistrate of

the first class or any other person nominated by the Election Commission, he should as soon as the candidate has made and subscribed the oath or affirmation, certify this fact on the form, keep a copy for his record and hand over the original to the candidate. It will be the responsibility of the candidate to see that the original oath or affirmation is produced before you at or before the time fixed for the scrutiny of nomination papers.

20.15 You and the Assistant Returning Officers should get these forms of oath printed, cyclostyled or typed in the official language of that State and in English and keep them ready at hand. If any person intending to contest an election asks for a copy of the form it should be supplied to him. When a candidate who is confined to bed owing to illness takes his oath before a medical officer of a hospital or before a medical practitioner it will be his responsibility to obtain two copies of the oath form to enable the medical officer or the medical practitioner to administer the oath.

**NOTICE TO THE DEFAULTING CANDIDATES**

21.1 Strictly speaking, it is for the candidate himself to ensure that he makes and subscribes the requisite oath or affirmation so as to become qualified. In order, however, to see that he does not lose sight of this mandatory requirement, which would result in his nomination being rejected, the Commission desires that his attention may be drawn thereto by means of a written memo in the following form when his nomination paper is presented and examined from technical standpoint:

**OFFICE OF THE RETURNING OFFICER**

..... Constituency

Memo No ..... Date.....

To.....

(Name of candidate)

This is to inform you that you have not made and subscribed an oath or affirmation as required by Article *84(a) or 173(a) of the Constitution/section 4(a) of the Government of Union Territories Act, 1963/section 4(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. This may be done either before me or before any of the persons authorized by the Election Commission in this behalf on any day before the date appointed for scrutiny of nominations.

Date ..... Returning Officer